

एन0पी0वी0 की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो एन०पी०वी० की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।

*(Handwritten signature)*

अध्यापिका

डि० नि० विभागा

घनसाली (टिंगोल)

*(Handwritten signature)*

बोर्ड / अधिशासी अभियन्ता

आरक्षी खण्ड, नो० नि० वि०

घनसाली (दि० मं०)